FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

अंतराराम बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज० वाद 88 RTA नं. 115/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/06/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री तोगाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/06/2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु, बाड़मेर	
06/06/2022	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसकी प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया / वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 तथा स्वतन्त्र गवाह PW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / वादी वकील द्वारा शेष प्रतिवादीगणों को तर्क किया गया जिनसे कोई किसी प्रकार की इतन्दुआ नहीं चाही गई है वादी	खेताराम L.T. [illegible] [signature] (तोगाराम Adv)

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के अधिवक्ता श्री एडवोकेट बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक साबित होती है लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन जिला – बाड़मेर
19/08/2022	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 CPC बाबत निर्णय व डिक्री पर्चा में संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा जारी करने बाबत का प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि उक्त वाद के निर्णय व डिक्री पर्चा जारी करते समय वाद में दर्शाये गये खसरों से भिन्न खसरे दर्शाये गये जो टंकण भूल रही है। लिहाजा वाद में दर्शाये गये खसरों का अंकन किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा जारी किया जावे। अतः वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा जारी किये जाने का आदेश किया जाता है संशोधित निर्णय व डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन जिला – बाड़मेर

राजस्थान—सरकार

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या— 115 / 2022

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. भंवराराम पुत्र खेताराम, जाति—जाट, निवासी— चेनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील— बायतु, जिला—बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र मेगाराम, 2. लूंभाराम पुत्र मेगाराम, जाति— जाट, निवासी— चेनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील— बायतु, जिला — बाड़मेर। 3. तहसीलदार बायतू।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

उपस्थित :— 1. श्री जोगाराम वकील वादी

—: **संशोधित निर्णय** :— दिनांक :19/08/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 684 / 318, 696 / 341, 697 / 341, 699 / 350 रकबा क्रमशः 4.2473, 3.3169, 4.7731, 1.4562 हैक्टेयर व मौजा लूणाड़ा पटवार हल्का लूणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1622 / 1156 रकबा 1.0153 हैक्टयर व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1710 / 1673, 1712 / 1673 रकबा क्रमशः 4.1259, 6.7471 हैक्टयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या—1, पूर्वज मेगाराम के वंशजं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि हैं और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला— बाड़मेर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित होकर, काबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं भंवराराम पुत्र खेताराम शपथ पत्र PW-1, स्वतंत्र गवाह के रूप में पेमाराम पुत्र रतनाराम का शपथ पत्र PW-2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW-1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज़ों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज मेगाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 684/318, 696/341, 697/341, 699/350 रकबा क्रमशः 4.2473, 3.3169, 4.7731, 1.4562 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/2 हिस्से में वादीगणों को सहखातेदार व मौजा लूणाड़ा पटवार हल्का लूणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नंम्बर 1622/1156 रकबा 1.0153 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1710/1673, 1712/1673 रकबा क्रमशः 4.1259, 6.7471 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/2 हिस्से में वादीगणों को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO)

निर्णय आज दिनांक 19/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. भंवराराम पुत्र खेताराम, जाति–जाट, निवासी– चेनाणियों की ढाणी, सिंगोडिया, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र मेगाराम, 2. लूंभाराम पुत्र मेगाराम, जाति– जाट, निवासी– चेनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील– बायतु, जिला – बाड़मेर। 3. तहसीलदार बायतू।

<u>दावा बाबत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या– 115 / 2022. **निर्णय दिनांक :–** 19/08/2022

वादी वकील श्री जोगाराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06 / 06 / 2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर **मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 684 / 318, 696 / 341, 697 / 341, 699 / 350 रकबा क्रमशः 4. 2473, 3.3169, 4.7731, 1.4562 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1 / 2 हिस्से में वादी को सहखातेदार व मौजा लूणाड़ा पटवार हल्का लूणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1622 / 1156 रकबा 1.0153 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1710 / 1673, 1712 / 1673 रकबा क्रमशः 4.1259, 6.7471 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1 / 2 हिस्से में वादी को, सहखातेदार काश्तकार** घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु
जिला – बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	